लोकतंत्र एवं शिक्षा

*गोपाल प्रसाद नायक**

सामान्य शब्दों में लोकतंत्र जीवनयापन की एक ऐसी शैली है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है। लोकतंत्र समान अधिकार तथा समान स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित है। ये सिद्धांत किसी जाति अथवा व्यक्ति विशेष के लिए न होकर वरन् सभी के लिए होते हैं। लोकतंत्र केवल एक शासकीय व्यवस्था ही नहीं है, यह एक प्रगतिशील विचारधारा है जो केवल शासन के रूप तक सीमित नहीं होती बल्कि सामाजिक क्षेत्र को भी अनेक अर्थों में प्रभावित करती है। सामाजिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र ऐसा विचार है जो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावनाओं के आधार पर समाज को गठित करता है। देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए लोगों में राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना एवं समझ के साथ उत्तरदायित्व की भावना का होना ज़रूरी है इसके विपरीत अवस्था में लोकतंत्र के विफल होने की सम्भावना अधिक होती है। अतः नागरिकों में राजनीतिक चेतना भरना और उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। यह कार्य शिक्षा द्वारा ही पूर्ण हो सकता है। यदि हम शिक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार करें और उसके द्वारा नागरिकों में लोकतांत्रिक भावना का विकास कर दें तो निःसंदेह हमारा लोकतंत्र सफल एवं सबल हो सकेगा। प्रस्तुत लेख में इन्हीं बिन्दुओं के आलोक में लोकतंत्र के स्वस्थ विकास में शिक्षा की भूमिका को स्पर्श करने का प्रयास किया गया है।

लोकतंत्र का अर्थ

लोकतंत्र एवं शिक्षा का संबंध समझने के पूर्व यह समझ लेना आवश्यक है कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है? अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के शब्दों में लोकतंत्र का अर्थ 'जनता का शासन, जनता द्वारा, जनता के लिए हैं'। (Democracy is the government of the people by the people and for the people)

बोडे (Bode) के कथनानुसार लोकतंत्र जीवनयापन की एक रीति है। जीवनयापन की रीति से उनका तात्पर्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करना है, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो अथवा आर्थिक।

*रीडर, शिक्षा संकाय, म.गां. काशी विद्यापीठ, वाराणसी (उ.प्र.)

राधाकृष्णन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49) में इसी विचारधारा का समर्थन मिलता है। रिपोर्ट में लोकतंत्र के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा गया है–

> *''लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं वरन् जीवनयापन की एक रीति भी है। लोकतंत्र समान अधिकार तथा समान स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित रहता है।''*

ये सिद्धांत किसी जाति विशेष अथवा व्यक्ति विशेष के लिए नहीं वरन् सभी के लिए है। प्रजातंत्र केवल एक शासकीय व्यवस्था नहीं है। प्रजातंत्र एक प्रगतिशील विचारधारा है जो केवल शासन के रूप तक सीमित नहीं होती। यह सामाजिक क्षेत्र में भी आ जाती है। सामाजिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र ऐसा विचार है जो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावनाओं के आधार पर समाज को गठित करना चाहता है।

सामाजिक दृष्टि से सभी नागरिक बराबर है। प्रजातंत्र में समानता को बहुत महत्व दिया जाता है। समानता का तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों को अवसर मिले। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुकूल अवसर मिले। जन्म, रंग, जाति एवं धर्म के कारण अथवा किसी दल विशेष का सदस्य होने के नाते कोई व्यक्ति बड़ा अथवा छोटा नहीं समझा जा सकता। सभी नागरिकों को अपनी-अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार अपना कार्य करने एवं कार्य में उन्नति करने की स्वतंत्रता होती है। सबको अपनी बौद्धिक योग्यता के आधार पर पद प्राप्त करने का अधिकार होता है। किसी को भी अधिकारों एवं उन्नति के अवसरों से वंचित नहीं किया जा सकता है। राज्य अथवा समाज द्वारा सबको समान अवसर तथा सुविधाएँ प्रदान की जाती है जिससे प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र का एक श्रेष्ठ नागरिक बन सके।

यदि हम संसार के इतिहास का अध्ययन करें तो हमें विदित होगा कि अनेक देशों में लोकतंत्र असफल सिद्ध हो गया। अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की उथल-पुथल एवं वहाँ की सैनिक तानाशाही से हम परिचित हैं। अनेक देशों में सैनिक क्रान्तियों के पीछे लोकतंत्र की असफलता छिपी हुई दिखायी पड़ती है। इन देशों में लोकतंत्र के असफल होने के अनेक कारण हो सकते हैं, किंतु एक बहुत बड़ा कारण यह रहा है कि इन देशों में लोकतंत्र केवल राजनीति तक ही सीमित रहा है। वोट देना, चुनाव में भाग लेना, चुनाव सभाओं का आयोजन करना एवं सत्ता हथियाना जैसे कार्यों तक ही यदि लोकतंत्र सीमित रहा तो वह अवश्य असफल हो जाएगा। यदि देश के नागरिक सुयोग्य हैं उनमें राजनीतिक चेतना है और देश के प्रति अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को समझते हैं तो वे लोकतंत्र को सफल बना सकते हैं। इसके विपरीत अवस्था में लोकतंत्र के विफल होने की सम्भावना अधिक होती है। अतः नागरिकों में राजनीतिक चेतना भरना और उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। यह कार्य शिक्षा द्वारा ही पूर्ण हो सकता है। प्रस्तुत अध्ययन में इन्हीं

बिंदुओं के आलोक में लोकतंत्र के स्वस्थ विकास में शिक्षा की भूमिका को स्पर्श करने का प्रयास किया गया है।

लोकतंत्र के मुख्य सिद्धांत

लोकतंत्र के मुख्य सिद्धांत—स्वतंत्रता, समानता बंधुत्व एवं न्याय है।

स्वतंत्रता (Freedom)

स्वतंत्रता के अभाव में मानव अपनी शक्तियों का विकास नहीं कर पाता है भारतीय लोकतंत्र में नागरिकों को विभिन्न स्वतंत्रताएं जैसे— वाक् स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारत राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, कोई वृत्ति, उपजीविका आदि की स्वतंत्रता प्राप्त है। व्यक्ति इन स्वतंत्रताओं का उपयोग तभी सफलतापूर्वक कर सकता जब वह दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों को अपने ही अधिकारों के समान मानेगा।

समानता (Equality)

लोकतांत्रिक दृष्टि से समानता का राजनीतिक पहलू महत्वपूर्ण है। समानता के राजनीतिक रूप का अर्थ यह है कि राजनैतिक व्यवस्था में सभी वयस्क नागरिकों को समान नागरिक और राजनैतिक आधार उपलब्ध हों। राजनैतिक समानता का यह आशय नहीं है कि राज्य में प्रत्येक व्यक्ति समान शक्ति का प्रयोग करता हो। इसका अभिप्राय केवल यह है कि प्रत्येक व्यक्ति समान राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग कर सके। अर्थात् सभी व्यक्तियों को समान रूप से शासन में भाग लेने का अवसर मिल जाता है।

समानता का दूसरा पक्ष नागरिक समानता है। उसका तात्पर्य सभी को नागरिकता के समान अवसर प्राप्त होने से होता है। नागरिक समानता की अवस्था में व्यक्ति के मूल अधिकार सुरक्षित होने चाहिए तथा सभी को कानून का संरक्षण समान रूप से प्राप्त होना चाहिए क्योंकि कानून की दृष्टि से यदि धन, पद, धर्म एवं वर्ग के आधार पर भेद होने लगे, तो उससे नागरिक असमानता उत्पन्न हो जाएगी। नागरिक समानता के आधार पर ही सामाजिक समानता लाना सम्भव होता है। आधुनिक युग में समानता का एक और पक्ष महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। यह है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का तात्पर्य यह नहीं है कि सभी के पास समान सम्पत्ति अथवा धन हो। इसका तो केवल इतना ही तात्पर्य है कि सम्पत्ति तथा धन का उचित वितरण हो जिससे उसके अभाव के कारण किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधा न पड़े।

हर समाज में कुछ ऐसे मूल्य होते हैं, जिनकी व्यवस्था इसलिए की जाती है कि समाज उनसे श्रेष्ठतर मूल्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सके। उदाहरण के लिए व्यक्ति का स्वतंत्रता व सामाजिक समानता में विश्वास इसलिए होता है कि इनके सहारे उसके व्यक्तित्व को विकास का सर्वश्रेष्ठ वातावरण प्रस्तुत होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए यह अनिवार्य है कि व्यक्तिगत व्यक्तित्व का सम्मान

किया जाए जिससे हर व्यक्ति अपने ढंग से अपनी पूर्णता के मार्ग पर आगे बढ़ सके। लोकतांत्रिक समाज का यह आदर्श या मूल्य सर्वाधिक महत्व का माना जाता है। मनुष्य के विकास में व्यक्तित्व के भौतिक व बाहरी पहलुओं से कहीं अधिक महत्व उसके आन्तरिक पहलुओं का होता है। मनुष्य चाहता है कि वह परिपूर्ण बने। इसके लिए आवश्यक है कि उसके व्यक्तिगत व्यक्तित्व का सम्मान हो। इसके अभाव में व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी उसे रिक्तता या कुछ कमी महसूस होती है।

बंधुत्व (Fraternity)

स्वतंत्रता एवं समानता के बीच समन्वय लाने का कार्य बन्धुत्व या भ्रातृत्व करता है। सामाजिक हितों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि सभी व्यक्ति आपस में सहयोग करें। जब परस्पर प्रेम होता है, तभी सहयोग हो सकता है, अन्यथा पारस्परिक प्रेम के अभाव में सहयोग नहीं होता। जब व्यक्तियों में स्वार्थ के लिए संघर्ष होता है तो स्वतंत्रता और समानता के बीच विरोध खड़ा हो जाता है। इसलिए भ्रातृत्व को स्वतंत्रता एवं समानता के सामंजस्य स्थापित करने वाली कड़ी कहा गया है।

न्याय (Justice)

लोकतांत्रिक व्यवस्था न्याय पर आधारित होनी चाहिए। लोकतंत्र में न्याय की दृष्टि से अमीर, गरीब, निर्बल व शक्तिशाली आदि सभी समान हैं। उनके साथ किसी प्रकार का कानूनी भेदभाव नहीं होता है।

अनेक राजनीतिक दार्शनिक तो यह मानते हैं कि लोकतांत्रिक प्रणाली ही न्याय की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। वैसे न्याय लोकतंत्र का ऐसा मूल्य है जो अपने आप में व्यापकतम प्रकृति रखता है। लोकतंत्र में राजनीतिक स्वतंत्रताएं एवं समानताएं हर नागरिक को प्राप्त होती हैं। इस कारण हर व्यक्ति अन्याय की अवस्था से अपने आपको मुक्त करने के कारगर साधन रखता है। अतः न्याय की व्यवस्था उस समय में स्वतः ही हो जाती है जहाँ स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिगत व्यक्तित्व का सम्मान करने वाली संस्थागत व्यवस्थाएं होती हैं। लोकतांत्रिक ढंग से लिए गए निर्णयों का आधार खुला विचार-विनिमय होता है। लोकतंत्र में निर्णय चाहे किसी भी स्तर पर लिए जाएं उनमें जोर-ज़बर्दस्ती के बजाए विचार-विमर्श एवं आम सहमति मुख्य रहती है। विचार-विमर्श एवं आम सहमति की निर्णय प्रक्रिया में कुछ या अधिकांश लोगों का सम्मिलित होना किसी निर्णय के ढंग को लोकतांत्रिक नहीं बनाता है। इसके लिए निर्णय प्रक्रिया में सारे जन की सहभागिता का होना अनिवार्य है अर्थात् निर्णय लेने में राजनीतिक व्यवस्था के सभी नागरिकों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होना आवश्यक है। अगर किसी निर्णय-विधि से अधिकांश व्यक्तियों को वंचित रखा गया हो तो वह निर्णय प्रक्रिया लोकतांत्रिक नहीं कही जा सकती। निर्णय प्रक्रिया में सम्पूर्ण समाज को सहभागी बनाने का दूसरा नाम ही लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया के लिए यह आवश्यक है कि एक सीमा तक विचार-विमर्श व

वाद–विवाद की छूट रहे और अन्त में बहुमत के आधार पर निर्णय ले लिए जाएँ तथा बहुमत द्वारा लिए गए ऐसे निर्णय सब स्वीकार कर लें। अर्थात् लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया वस्तुत: विचार–विमर्श, वाद–विवाद एवं सामंजस्य की ही प्रक्रिया है। लोकतंत्र में शासकों को सत्ता, जनता की धरोहर के रूप में प्राप्त रहती है तथा इस सत्ता का उन्हें जनता के हित में, जनता की उन्नति व प्रगति के लिए ही प्रयोग करना होता है। केवल वही राजनीतिक समाज लोकतांत्रिक माने जाते हैं जहाँ शासक निरंतर उत्तरदायित्व निभाते हैं। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता रहती है। वह समाज के हितों की रक्षा के लिए किसी भी दल का सदस्य बन सकता है तथा किसी भी व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित करने के लिए मत दे सकता है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि लोकतंत्र वास्तव में जीवन का एक तरीका है।

लोकतंत्र एवं शिक्षा में संबंध

लोकतंत्र का आदर्श है कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे की सहायता से पूर्णतया को प्राप्त करें। लोकतंत्र न तो समाज द्वारा व्यक्ति के शोषण और न व्यक्ति द्वारा समाज के हितों की अवहेलना की आज्ञा देता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र का कार्य समाज को इस प्रकार संगठित करना है जिससे व्यक्ति समाज के लिए हितप्रद कार्यों द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। अत: लोकतंत्र में शिक्षा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति में ज्ञान, रुचियों, आदर्शों और शक्तियों का विकास करती है। लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक बात शिक्षा और उच्च कोटि की राजनैतिक चेतना है। यदि लोगों को राज्य के कार्यों में रुचि नहीं है और वे समाज की समस्याओं को नहीं समझते हैं तो लोकतंत्र केवल नाम के लिए होता है। लोकतंत्र में जितने भी दोष बताए जाते हैं उन सबका प्रमुख कारण शिक्षा का अभाव है।

जॉन ड्यूवी ने कहा था–

"शिक्षा के अभाव में लोकतंत्र लंगड़ा, निर्जीव तथा लचीला है और लोकतंत्र के अभाव में शिक्षा नीरस तथा मृतप्राय है।'"

शिक्षा ही लोकतंत्र के नागरिकों को जागरूक बनाती है और राज्य के कार्यों में उनकी रुचि उत्पन्न करती है।

राधाकृष्णन रिपोर्ट (1948–49) के अनुसार, लोकतंत्र के हाथ में शिक्षा ही सबसे बड़ी युक्ति है जिसके द्वारा वह नागरिकों को सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति दिलाता है और उनके बीच समानता का भाव बनाए रखता है। साथ–ही–साथ प्रजातंत्र इस बात का प्रयत्न करता है कि न तो समाज व्यक्ति का शोषण करे और न व्यक्ति समाज हित की अवहेलना करें। व्यक्ति अपना विकास करते हुए समाज हित में लीन रहे। यह तभी संभव है जब व्यक्ति में शिक्षा द्वारा आवश्यक रुचियों आदतों तथा मनोवृत्तियों का विकास किया जाए। अत: प्रजातंत्र में शिक्षा की अवहेलना नहीं की जा सकती है।

प्रजातांत्रिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि हमारे भावी नागरिक हमारी संस्कृति, सभ्यता, कला एवं ज्ञान से परिचित हों जिससे वे समय आने पर इनके स्थायित्व एवं विकास में अपना योगदान कर सकें। यह कार्य शिक्षा द्वारा ही पूर्ण होता है। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हमारी संस्कृति का संरक्षण तथा उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण किया जा सकता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का संतुलित एवं सर्वांगीण विकास करना है। साथ ही साथ उसके चरित्र का भी निर्माण करना है जिससे कि वह एक योग्य, चरित्रवान एवं सामंजस्य पूर्ण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बन सके और अपने जीवन के सभी कार्य उदारता, निष्पक्षता, ईमानदारी एवं कुशलता से कर सके। यह तभी संभव है जब शिक्षा द्वारा व्यक्ति की चिंतन शक्ति, तर्कशक्ति, सूझ-बूझ आदि का विकास हो।

लोकतंत्र के मुख्य आदर्श सिद्धांत-स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व हैं। बहुत से देशों ने इन्हीं आदर्शों पर अपनी-अपनी सरकारों का गठन किया। भारत ने इन तीनों में न्याय का आदर्श और जोड़ दिया और इन चारों आदर्शों के आधार पर अपनी प्रजातंत्रीय सरकार का गठन किया और यह घोषणा की, कि भारत स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तथा न्याय के आधार पर लोकतंत्र को प्राप्त करेगा। इन आदर्शों की प्राप्ति शिक्षा द्वारा ही संभव है। प्रजातंत्र तभी सफल हो सकता है जब राष्ट्र के सभी नागरिक शिक्षित हों और सभी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार प्राप्त हो। इस दृष्टि से हमारे संविधान ने पैतालीसवीं धारा के अंतर्गत सभी राज्यों को यह आदेश दिया है कि वे संविधान के लागू होने की तारीख से दस साल के अंदर 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करें।

महात्मा गांधी ने यह बात स्पष्ट रूप से कही थी कि देश की उन्नति एवं प्रजातंत्र के स्थायित्व के लिए हमें अपने देश के नागरिकों को अज्ञानता एवं निरक्षरता से मुक्त कराना पड़ेगा। यह कार्य बिना सार्वभौमिक शिक्षा के पूर्ण न हो सकेगा। यद्यपि भारत सरकार जनतंत्र की सफलता के लिए प्रयत्नशील है परंतु अभी तक जनतंत्रीय आदर्शों की जड़ें जम नहीं सकीं हैं। जिसके कारण जनतंत्र जितना सफल होना चाहिए था उतना नहीं हो सका। हमें जिस सुख एवं शान्ति की आशा थी वह नहीं मिली है। इसके विपरीत द्वेश, ईर्ष्या, असहयोग, निर्धनता, असमानता भ्रष्टाचार आदि में वृद्धि हुई है।

लोकतंत्र की असफलता के अनेक कारण हैं। प्रथम-मुख्य कारण अशिक्षा एवं अज्ञानता है। शिक्षा जनतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। अशिक्षित व्यक्तियों से लोकतंत्र की रक्षा नहीं हो सकती। अशिक्षित होने के कारण जनता लोकतंत्र का अर्थ एवं मतदान के महत्व को नहीं समझती। स्वतंत्र रूप से न विचार कर सकती और न निर्णय ले सकती है। वह अपनी रोटी-दाल की समस्या दूर करने में लगी रहती है। शिक्षा के अभाव के कारण उनका व्यवहार जनतंत्र की भावनाओं के अनुकूल नहीं होता। लोकतंत्र की असफलता का दूसरा मुख्य कारण आर्थिक

असमानताएँ है। जब तक ये असमानताएँ दूर नहीं होंगी तब तक वर्ग-भेद समाप्त नहीं होगा। जब तक वर्ग-भेद रहेंगे, वर्ग-संघर्ष रहेगा और लोकतंत्र सफल नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कारण भी हैं जैसे क्षेत्रीयता, जातीयता एवं साम्प्रदायिकता आदि।

शिक्षा और लोकतंत्र का घनिष्ठ संबंध है। उपयुक्त शिक्षा के अभाव में लोकतंत्र की सफलता संदिग्ध है। लोकतंत्र जनमत पर आधारित है और जनमत को प्रबुद्ध बनाना शिक्षा का कार्य है। यदि लोग शिक्षित हैं, यदि वे स्वतंत्र रूप से विचार कर सकते हैं और अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यवहार में उतार सकते हैं तो लोकतंत्र सफल होगा। यदि लोग सत्य और असत्य में भेद कर सकते हैं और विचार की यथार्थता को समझ सकते हैं तो लोकतंत्र का संचालन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। यह सब कार्य शिक्षा द्वारा संभव है। लोगों में इस प्रकार की क्षमता का विकास करना शिक्षा का कार्य है। अत: लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा में उपयुक्त परिवर्तन लाना है।

जॉन ड्यूवी का मत है कि जिस प्रकार शरीर को कायम रखने के लिए भोजन की आवश्कता होती है उसी प्रकार समाज के अस्तित्व के लिए शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा का प्रारंभ उस समय होता है जब बालक प्रजाति की सामाजिक चेतना में सक्रिय रूप से भाग लेता है। अत: उसने शिक्षा के महत्वपूर्ण साधन-विद्यालय को एक सामाजिक संस्था माना जिसमें प्रजाति की सामाजिक चेतना को स्थान प्रदान किया जा सके। इस सामाजिक संस्था में बालक एक दूसरे के अधिकारों, विचारों एवं व्यक्तियों का आदर करना तथा अपने कर्तव्यों का समझदारी के साथ निर्वाह करना सीखते हैं। इसके अतिरिक्त यह संस्था बालक को उन सामाजिक क्रियाओं में प्रशिक्षित करती है जो वर्तमान सामाजिक जीवन में प्रचलित हैं। विद्यालय सामान्यत: सामुदायिक जीवन का वह स्वरूप है जिसमें वे समस्त साधन केंद्रित होते हैं जो बालक की शक्तियों को सामाजिक हितों के लिए उपयोग में लाने को तैयार करते हैं।

लोकतंत्र में विद्यालयों का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। विद्यालय समाज का दर्पण ही नहीं, उसका मार्गदर्शक भी होता है। समाज की परंपराओं को वह प्रतिबिम्बित तो करता ही है, साथ में उन परंपराओं की आलोचना करके सही एवं उचित को अपनाने और अनुचित एवं अनुपयोगी को समाप्त करने का परामर्श देकर वह समाज का पथ-प्रदर्शन भी करता है। विद्यालय में रंग, जाति, आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए क्योंकि जब तक सभी जाति एवं वर्ग के बालकों को विद्यालय में समान रूप से सुविधा नहीं मिलती, तब तक समानता का उद्देश्य अप्राप्त ही बना रहेगा। राजनैतिक दलों को विद्यालयों से दूर रहना चाहिए। विद्यालय सभी राजनैतिक दलों के सिद्धांतों का निष्पक्ष विश्लेषण कर सकता, किंतु किसी राजनैतिक दल का अखाड़ा नहीं बन सकता। यदि ऐसा न हुआ तो लोकतंत्र का सफल संचालन सम्भव नहीं हो सकेगा।

एक लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा के उद्देश्य की अभिव्यक्ति उचित नागरिक के पूर्ण विकास

में निहित है। एक उचित नागरिक से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने स्वयं के प्रति तथा अपने सहयोगियों के प्रति उत्तरदायित्व को निभा सके। वह ऐसा व्यक्ति हो जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में जागरूक हो। उसमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक समस्याओं को व्यवहारिक रूप से समझने की क्षमता हो। उसमें तर्क–वितर्क करने की शक्ति हो। वह जीवन के प्रति सृजनात्मक रूप से विचार रखता हो और अपने जीवन–यापन के लिए धन अर्जित कर सकता हो। उसकी रुचियों का सम्यक विकास हो तथा उसमें व्यापकता हो। उसमें चिन्तन करने की क्षमता हो। शिक्षा को अपने उद्देश्यों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक विकास दोनों को स्थान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षा में बालक के लिए व्यवसायिक उद्देश्य को भी महत्व दिया जाना चाहिए। भारत में प्रजातंत्र तभी सफल हो सकता है जब यहाँ पर दी जाने वाली शिक्षा उचित नागरिकता का विकास करे।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) के अनुसार भारतीय लोकतंत्र के लिए तीन उद्देश्य हैं– (1) चरित्र का प्रशिक्षण, जो विद्यार्थी को इस योग्य बना दे कि वह रचनात्मक रूप से विकसित होती हुई सामाजिक व्यवस्था में नागरिक के कर्तव्यों का पालन कर सके। (2) व्यवहारिक तथा व्यवसायिक कुशलता में विकास हो ताकि वे अपने देश की आर्थिक स्थिति सुधारने में अपना सहयोग दे सके। (3) साहित्यिक, कलात्मक और सांस्कृतिक रुचियों का विकास हो, जो उनके आत्म–प्रदर्शन के लिए तथा संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, जिनके बिना एक राष्ट्र की सक्रिय संस्कृति का विकास संभव नहीं है।

विद्यालय संगठन में लोकतंत्र की भावना को उचित स्थान मिलना चाहिए। अध्यापकों को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे स्वयं पाठ्यक्रम निर्धारित करें। उन्हें शिक्षण पद्धति और पाठ्य–पुस्तकों को चुनने की स्वतंत्रता होनी आवश्यक है। हमारे देश में अध्यापकों की स्वतंत्रता तथा विद्यालय संगठन में लोकतंत्र की भावना को बहुत कम महत्व दिया जाता है। यह सर्वथा अनुचित है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश के नागरिक लोकतंत्र के आदर्शों को अपनाएँ तो हमें सबसे पहले विद्यालयों में उचित वातावरण निर्मित करना होगा। विद्यालयों में सहयोग, सहानुभूति, प्रेम इत्यादि को प्रोत्साहन देने की ओर विशेष बल देना होगा। लोकतंत्र की भावना विद्यालय संगठन में उसी समय प्रभावशाली होगी जब अध्यापकों तथा प्रधानाचार्य आदि के आपसी संबंध मित्रता एवं सहयोग पर आधारित होंगे।

शिक्षा के उद्देश्य कितने ही अच्छे क्यो न हों, कितना ही सुन्दर पाठ्यक्रम क्यों न बना दिया जाए, किंतु यदि शिक्षक को उपेक्षित कर दिया जाए तो सारी शिक्षा योजनाएँ जहाँ की तहाँ रखी रह जाएंगी। इसलिए शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में अध्यापक मुख्य रूप से समाज के प्रति उत्तरदायी होता है। उसकी वफ़ादारी शासन के प्रति न होकर छात्रों व अभिभावकों के प्रति होनी चाहिए। शिक्षकों के लिए यह भी आवश्यक है चरित्रवान हों क्योंकि लोकतंत्र में अपने आचरण से ही वे छात्रों को

प्रभावित कर सकते हैं। लोकतंत्रीय शिक्षा का आदर्श है कि छात्रों में अच्छी आदतें डाली जाएँ एवं उनके चरित्र का उन्नयन किया जाए। यह तभी संभव है जबकि शिक्षक स्वयं सच्चरित्र हों।

लोकतंत्रीय समाज के विद्यालयो में शिक्षक का स्थान एक मित्र, पथ-प्रदर्शक, समाज-सुधारक तथा नेता के रूप में होता है, जिससे वह अपने छात्रों तथा समाज का समुचित रूप से पथ-प्रदर्शन कर सके। शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समाज में उचित परिवर्तन लाकर उसे प्रगति की ओर अग्रसर करें। इसके लिए उसमें तीन गुणों की अपेक्षा की जाती है। पहला, वह एक योग्य नागरिक हो तथा लोकतंत्रीय आदर्शों, मूल्यों एवं सिद्धांतों में पूर्ण निष्ठा रखता हो। दूसरा इसमें अपने छात्रों को समझने तथा उनको पथ-प्रदर्शन करने की क्षमता हो, जिससे वह उनको एक योग्य नागरिक बनाने में सफल हो सके। तीसरा, वह लोकतंत्रीय आदर्शों के अनुसार प्रशिक्षित किया गया हो। अन्त में कह सकते हैं कि वह ऐसे उच्चचरित्र का व्यक्ति होना चाहिए, जिससे वह समाज तथा छात्रों का सम्मान प्राप्त कर सके और अपने उदाहरणों एवं सिद्धांतों द्वारा उनका नेतृत्व करने में सफल हो सके।

लोकतंत्र में स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छन्दता नहीं है। बालकों को अपनी मनमानी करने से रोकने के लिए उन्हें उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना चाहिए। जब विद्यार्थी अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन होते हैं और अपने अधिकारों की मांग करते हैं तभी अधिकारियों एवं विद्यार्थियों में संघर्ष उत्पन्न होता है। ऐसे अनेक उदाहरण वर्तमान समय में देखे जा सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि छात्रों को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को समझने के अवसर दिये जाएं और सामाजिक नियंत्रण का महत्व बतलाया जाए। लोकतंत्र की सफलता अनुशासन पर निर्भर करती है। बिना अनुशासन के मानव समाज तथा देश की क्रियाएँ अव्यवस्थित रहती हैं और अव्यवस्था का परिणाम देश के लिए भयंकर सिद्ध हो सकता है। शिक्षा में भी स्वानुशासन पर बल दिया जाता है। इसके लिए विद्यालयों में सभी को अपनी प्रतिभा के विकास के लिए समान अवसर तथा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। शिक्षक का व्यवहार निष्पक्ष होना चाहिए।

यदि अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की नीव सुदृढ़ करनी है तो इसके लिए अपनी शिक्षा व्यवस्था को लोकतांत्रिक रूप देना होगा। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए योग्य नागरिकों की जरुरत है तथा योग्य नागरिकों का निर्माण शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है। शिक्षा के प्रति उपेक्षा का यह परिणाम है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हजारों रोग लग गए और देश इस समय नाजुक परिस्थितियों से गुजर रहा है। यदि हम शिक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार करें और उसके द्वारा नागरिकों में लोकतांत्रिक भावना का विकास करें तो नि:संदेह हमारा लोकतंत्र सफल एवं सबल हो सकेगा।

संदर्भ

1. कोठारी, रजनी 1970. *पॉलिटिक्स इन इण्डिया,* ओरियन्ट लागमैन्स, नई दिल्ली
2. कश्यप, सुभाष 1969. (लेख) *'संविधान की आत्मा : प्रस्तावना',* लोकतंत्र समीक्षा पत्रिका,
3. गेना, सी.वी. 1998. *तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं,* विकास पब्लिशिंग हाऊस प्रा.लि., जंगपुरा, नई दिल्ली
4. शर्मा, प्रभुदत्त 1996. *तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएँ,* कॉलेज बुक डिपो, जयपुर एवं नई दिल्ली
5. पाण्डेय, रामशकल 1995. *शिक्षा-दर्शन,* विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
6. लिन्डसे, ए.डी. 1962. द *मार्डन डेमोक्रेटिक स्टेट,* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क
7. माथुर, एस.एस. 1981. *शिक्षा सिद्धांत,* विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
8. अग्रवाल, एस.के. 1985. *शिक्षा के तात्विक सिद्धांत,* राजेश पब्लिशिंग हाऊस, मेरठ
9. तिलक, रघुकुल 1972. *लोकतंत्र : स्वरूप एवं समस्याएँ,* उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रन्थ अकादमी (प्रथम संस्करण), लखनऊ
10. शरण, पी. 1976. *भारतीय शासन एवं राजनीति,* रस्तोगी प्रकाशन, मेरठ,
11. जौहरी, जे.सी. 1974. *भारतीय शासन एवं राजनीति,* दिल्ली
12. यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49. *मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट,* डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली
13. सेकेंड्री एजुकेशन कमीशन 1952-53., *मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट,* डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली